>

Title: Damage of 9 lakh tonnes of wheat worth Rs. 60 lakh in FCI Godown at Sasaram (Bihar).

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): सभापति महोदय, मैं शून्य काल में राष्ट्रीय हित के मुद्दे को उठाते हुए 8 जुलाई को दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि पंजाब से नौ हजार टन गेहूं सहरसा, बिहार के एफसीआई गोदाम में स्टोरेज के लिए लाया गया था। लेकिन एफसीआई के अधिकारियों की लापरवाही के कारण सारा गेहूं रैक पर ही सड़ गया। जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रूपये आंकी गई है। इस प्रकरण से संबंधित अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए तथा राष्ट्र की सम्पत्ति की आगे बरबादी न हो, इसके लिए गेहूं को रेल से लाने की समुचित व्यवस्था की जाए। इसे एफसीआई अथवा रेल के माध्यम से करवाने की भी कार्यवाही की जाए।

महोदय, धान की खरीदारी में एफसीआई अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते धान की खरीद बिहार में नहीं हो सकी है। खाली जूट का बोरा नहीं होने के कारण उन्होंने किसान के धान की खरीद नहीं की, बल्कि बिचौलियों के माध्यम से अच्छी कमाई की। अतः मैं मांग करता हूं कि इसमें संलिप्त पदाधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए।